XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक -- निग0 3051--पीवीआर/14 [illegible]

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों/अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17.9.14	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री व्ही.के. योगी एवं अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एम.सी. गुप्ता उपस्थित । यह निगरानी तहसीलदार के प्रकरण क्रमांक 7/13--14/अ--70 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक [illegible]-9-[illegible] के विरुद्ध म0प्र0 भू--राजस्व संहिता, 1959 [illegible] सहित [illegible] की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है। आलोच्य अंतरिम आदेश द्वारा तहसीलदार ने आवेदकों द्वारा [illegible] पर प्रस्तुत आपत्ति को निरस्त किया गया है ।	
	[illegible] आवेदक की ओर [illegible] अनावेदकों को विधिक रूप से कोई [illegible] प्राप्त नहीं हुआ है और न ही उसके पूर्वाधिकारियों का कब्जा [illegible] कभी [illegible] है [illegible] इस कारण अनावेदकों द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में संहिता की धारा 250 के तहत प्रस्तुत आवेदन पोषणीय नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस संबंध में [illegible] द्वारा प्रस्तुत न्यायदृष्टांतों को [illegible] प्रकरण [illegible] कार्यवाही जारी रखने में विधिक भूल की है [illegible] कहा गया कि तहसीलदार मनमाने तरीके से दिन प्रतिदिन की पेशी [illegible] अनावेदकों द्वारा संहिता की धारा 250 के तहत प्रस्तुत कब्जा वापिसी के आवेदन में उनको बेदखल किए जाने के समय का कोई उल्लेख नहीं किया [illegible] यह कहा गया कि तहसीलदार [illegible] बिना मनमाने तरीके से [illegible] किया [illegible]	
	[illegible] अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता [illegible] कि [illegible] जिला न्यायाधीश, ग्वालियर द्वारा प्र0क्र0 28[illegible]/2009 इ.दी. [illegible] आदेश दिनांक 29.9.11 के अनुसार तहसीलदार [illegible] [illegible] है । आवेदक स्वच्छ हाथों से [illegible] है [illegible] आलोच्य आदेश के उपरांत [illegible] । इसी	

स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश

अधीनस्थ न्यायालय में आवेदकों की साक्ष्य होना है जहां आवेदकों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है।

4-- उभयपक्षों के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। यह प्रकरण संहिता की धारा 250 का है। आलोच्य अंतरिम आदेश द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदकों की आपत्ति को निरस्त कर प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत किया गया है और आलोच्य आदेश के पश्चात आवेदकगण अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हो रहे हैं। आदेश पत्रिका दिनांक 10.9.14 के अनुसार तहसीलदार द्वारा प्रकरण आवेदकों की साक्ष्य हेतु नियत किया गया है। आवेदकों को अभी अपना पक्ष रखने एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर अधीनस्थ न्यायालय में [illegible]। ऐसी स्थिति में इस स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही में हस्तक्षेप आवश्यक प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। तहसीलदार को निर्देश दिए जाते हैं कि आवेदकों को अपना पक्ष रखने एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर तथा संहिता की धारा 250 के प्रावधानों के तहत विधिवत कार्यवाही कर प्रकरण का निराकरण करें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

सदस्य

प्रकरण क्रमांक [illegible] 2014 पुनरीक्षण [illegible] FRRIL

[illegible] पुत्र श्री [illegible]

[illegible] आयु [illegible] व्यवसाय [illegible]

निवासी [illegible] लश्कर ग्वालियर

2. [illegible] पत्नी स्व.श्री रामप्रसाद [illegible]

व्यवसाय ईंट भट्टे का कारोबार

3. [illegible] पुत्र स्व. श्री पनीराम आयु [illegible]

व्यवसाय ईंट भट्टे का कारोबार

4. दौलतराम पुत्र स्व. श्री पनीराम आयु [illegible] वर्ष

व्यवसाय ईंट भट्टे का कारोबार

निवासीगण तोपे वाला मोहल्ला जीवाजीगंज

लश्कर ग्वालियर ....आवेदकगण

विरुद्ध

[illegible] 302 परिकल्प टॉवर

पुराना [illegible] लश्कर ग्वालियर [illegible]

अनावेदक

[illegible] पुत्र श्री इस्माइल खान निवासी

[illegible] जरीना हुमा [illegible]

[illegible] पुत्र श्री [illegible]लाल [illegible]

[illegible] लश्कर ग्वालियर

[illegible] पुत्र श्री दिनेश कुमार [illegible]

[illegible]

.... [illegible]